

अनुदान संख्या 86 - जहाजरानी मंत्रालय
GRANT No. 86-MINISTRY OF SHIPPING

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	570,55,00		
पूरक	Supplementary	29,66,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	600,21,00	489,41,29	-110,79,71
पूंजीगत:	Capital:			
प्रभारित-	Charged-			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	20,00,00	..	-20,00,00
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	307,63,00		
पूरक	Supplementary	40,01,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	347,64,00	92,63,86	-255,00,14
				198,85,88

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (11079.71 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 2966.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.11079.71 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.2966.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and constituted 18 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	1035.00		
पु.	R.	-50.16		
			984.84	879.29
				-105.55

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	4750.00		
पु.	R.	-4750.00
मुख्य शीर्ष "3051" पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ	Major Head "3051" Ports and Light Houses			
मू.	O.	34560.00		
पू.	S.	966.00	39401.70	35380.18
पु.	R.	3875.70		-4021.52
मुख्य शीर्ष "3052" जहाजरानी	Major Head "3052" Shipping			
मू.	O.	3510.00		
पु.	R.	-1197.13	2312.87	1968.76
मुख्य शीर्ष "3056" अंतर्देशीय जल परिवहन	Major Head "3056" Inland Water Transport			
मू.	O.	8174.00		
पु.	R.	-2804.76	5369.24	7328.00
मुख्य शीर्ष "3075" अन्य परिवहन सेवाएं	Major Head "3075" Other Transport Services			
मू.	O.	2448.00		
पु.	R.	-2448.00

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	500.00	2020.00	1618.24
पू.	S.	2000.00		
पु.	R.	-480.00		
				-401.76
मुख्य शीर्ष "3605"	Major Head "3605"			
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	Technical and Economic Co-operation with other Countries			
मू.	O.	250.00	146.00	146.00
पु.	R.	-104.00		
				. .
(I) 7506.00 लाख रु. का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 7198.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-			(I) Provision of Rs.7506.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.7198.00 lakhs accounted for under the following major heads:-	
(का) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कमों के लिए एकमुश्त प्रावधान"- 4750.00 लाख रु. व्यपगत न होने वाले पूल को निधियों का अभ्यर्पण किए जाने के कारण थे।			(A) Major Head "2552" - "Other Expenditure- Lumpsum Provision for Projects/Schemes of North Eastern Region and Sikkim"- Rs.4750.00 lakhs - due to surrender of funds to non- lapsable pool.	
(खा) मुख्य शीर्ष "3075" - "अन्य - अन्य व्यय - सागर माला गतिविधियां" - 2448.00 लाख रु. कार्यक्रम की "रूपरेखा" को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।			(B) Major Head "3075"- "Others - Other Expenditure-Sagar Mala Activities" - Rs.2448.00 lakhs-due to non-approval of the 'outline' of the programme.	
(II) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अंतर्देशीय जल परिवहन - अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास" के अंतर्गत 2000.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके प्रदान की गई थीं तथापि, जो अंतिम तिमाही में व्यय को नियंत्रित किए जाने के कारण 401.76 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।			(II) Under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Inland Water Transport - Development of Inland Water Transport" - funds of Rs.2000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.401.76 lakhs - due to restriction of expenditure in the last quarter.	

(III) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - जहाजरानी मंत्रालय" के अंतर्गत 155.71 लाख रु. की बचत (1035.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम निधियों की आवश्यकता होने और अंतिम तिमाही में व्यय को नियंत्रित किए जाने के कारण भी हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3051" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "मुख्य पत्तन - पत्तन न्यासों को सहायता - कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा नदी तलकर्षण तथा हुगली नदी का रख-रखाव"- 771.00 लाख रु. की बचत (4400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) "लघु पत्तन - निदेशन और प्रशासन - पोर्टब्लेयर में सीई तथा प्रशासन कार्यालय और नई दिल्ली में ईई तथा संपर्क कार्यालय संबंधी स्थापना प्रभार" - 107.09 लाख रु. की बचत (1164.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और सुनामी की वजह से कुछ कर्मचारियों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत/निःशुल्क समुद्री मार्ग का लाभ प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(गा) "प्रकाशस्तंभ और प्रकाश पोत - प्रकाश स्तंभ - कार्यचालन व्यय - पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज" - 331.01 लाख रु. की बचत (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा पूंजीगत व्यय के संबंध में बजट में कमी किए जाने और ब्याज दरों में गिरावट आने के कारण हुई।

(घा) "सामान्य - अनुसंधान और विकास - प्रशुल्क नियामक प्राधिकरण को अनुदान" - 293.32 लाख रु. की बचत (493.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3052" - "तटीय जहाजरानी" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "निदेशन और प्रशासन - जहाजरानी महानिदेशक" - 253.30 लाख रु. की बचत (1049.86 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat-Ministry of Shipping" - saving of Rs.155.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1035.00 lakhs) was due to requirement of less funds and also on account of restriction of expenditure in the last quarter.

(IV) Under Major Head "3051" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Major Ports - Assistance to Port Trusts - River Dredging and Maintenance of river Hooghly by Calcutta Port Trust" - saving of Rs.771.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4400.00 lakhs) was due to requirements of less funds by Calcutta Port Trust.

(B) "Minor Ports - Direction and Administration - Establishment charges in respect of CE-cum-Administrator office at Port Blair and E.E and Liaison Office at New Delhi" - saving of Rs.107.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1164.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-availing of leave travel concession/free sea passage by some employees owing to tsunami.

(C) "Light Houses and Light Ships - Light Houses - Working Expenses - Interest on Capital Outlay" - saving of Rs.331.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs) was due to reduction of budget for capital expenditure by the Ministry of Finance/Planning Commission and fall in the interest rates.

(D) "General - Research and Development - Grants to Tariff Regulatory Authority" - saving of Rs.293.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.493.00 lakhs) was due to requirement of less funds.

(V) Under Major Head "3052" - "Coastal Shipping" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - Director General of Shipping" - saving of Rs.253.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1049.86 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(खा) "प्रशिक्षण और शिक्षा - भारतीय समुद्रीय अध्ययन संस्थान"- 856.66 लाख रु. की बचत (1127.36 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकार के इस निर्णय के कारण हुई कि संस्थान द्वारा अर्जित राजस्व को समायोजित करने के पश्चात भारतीय समुद्रीय अध्ययन संस्थान को सहायता अनुदान जारी किया जाए।

(गा) "विनियमन तथा निरीक्षण - वाणिज्यिक समुद्री विभाग"- 102.54 लाख रु. की बचत (696.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाणिज्यिक समुद्री विभाग में रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(घा) "अन्य व्यय - जहाजों के अधिग्रहण के लिए कर्जों पर ब्याज विभेदक कर्ज और भारतीय जहाजरानी निगम को दिए गए बैंक कर्जों पर ब्याज" - 197.00 लाख रु. की बचत (210.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ब्याज दरों में गिरावट आने की वजह से भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3056" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता" - भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान" - 751.00 लाख रु. की बचत (6292.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय" - आईडब्ल्यूटी उद्यमकर्ताओं तथा अन्य प्रोत्साहन स्कीमों को कर्जों के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ब्याज सहायता" - 155.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय संस्थाओं से अधूरे दावे प्राप्त किए जाने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - लघु पत्तन - लघु पत्तनों का विकास - लघु पत्तनों के विकास के लिए साध्य जलसर्वेक्षण/वातावरणीय अध्ययन कराए जाने के लिए अनुदान" - 480.00 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Training and Education - Indian Institute of Maritime Studies" - saving of Rs.856.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 1127.36 lakhs) was due to the decision of the Government to release Grants-in-aid to Indian Institute of Maritime Studies after adjusting the revenue earned by the Institute.

(C) "Regulation and Inspection - Mercantile Marine Department" - saving of Rs.102.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.696.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts in Mercantile Marine Department.

(D) "Other Expenditure - Interest differentials on loans for acquisition of ships and Interest on Bank loans granted to SCI" - saving of Rs. 197.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.210.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Shipping Corporation of India owing to fall in interest rates.

(VI) Under Major Head "3056" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Grant to Inland Water Ways Authority of India" - saving of Rs.751.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6292.00 lakhs) was due to less expenditure incurred by Inland Water Ways Authority of India.

(B) "Other Expenditure - Interest Subsidy to Banks/Financial Institutions for Loans to I.W.T. entrepreneurs and other incentive schemes" - saving of Rs.155.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to receipt of incomplete claims from Financial Institutions.

(VII) Under Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes - Minor Ports - Development of Minor Ports - Grants for conducting feasibility Hydrographical/environmental studies for development of minor ports" - saving of Rs.480.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Governments.

(VIII) मुख्य शीर्ष "3605" - "अन्य देशों के साथ सहयोग - द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम" के अंतर्गत 104.00 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर में उतार-चढ़ाव आने के कारण हुई।

(IX) एक शीर्ष के अंतर्गत 67.78 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 98 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (5079.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3051" - "मुख्य पत्तन - पत्तन न्यासों को सहायता - कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा हल्दिआ नहर में रख-रखाव तथा तलकषण" के अंतर्गत 966.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1605.00 लाख रु. था।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 60.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 80 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(VIII) Under Major Head "3605" - "Co-operation with other Countries - Bilateral Cooperation Programme"- saving of Rs.104.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to fluctuation in the exchange rate.

(IX) Under one head saving of Rs.67.78 lakhs occurred constituting 98 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.5079.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.966.00 lakhs under Major Head "3051" - "Major Ports - Assistance to Port Trusts - Maintenance and dredging in Haldia Channel by Calcutta Port Trust". Actual excess, however, was Rs.1605.00 lakhs.

(II) Under one head excess of Rs.60.00 lakhs occurred constituting 80 percent of the sanctioned provision.

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
---------------------------------------	--	-----------------

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष Head	
मुख्य शीर्ष "7601" राज्य सरकारों को कर्ज तथा अग्रिम	Major Head "7601" Loans and Advances to State Governments

मू.	O.	2000.00
पु.	R.	-2000.00

(I) 2000.00 लाख रु. का विनियोग "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए कर्ज - अंतर्देशीय जल परिवहन अन्य कर्ज - जल परिवहन - अन्य कर्ज" के अंतर्गत केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों की निधीयन पद्धति में अनुदानों के रूप

(I) Appropriation of Rs.2000.00 lakhs remained wholly utilised under "Loans for Centrally Sponsored Plan Schemes - Inland Water Transport Other Loans - Water Transport - Other Loans" - due to change in the funding pattern of

में परिवर्तन होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (25500.14 लाख रु.) दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए 4001.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 73 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः-

Centrally Sponsored Schemes as grants and was eventually surrendered.

4. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.25500.14 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.4001.00 lakhs obtained in December, 2004 and constituted 73 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head				
मुख्य शीर्ष "5051" पत्तनों तथा प्रकाशस्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5051" Capital Outlay on Ports and Light Houses			
मू.	O.	7200.00	4477.22	3872.55
पु.	R.	-2722.78		
मुख्य शीर्ष "5052" जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping			
मू.	O.	10500.00	237.90	228.31
पु.	R.	-10262.10		
मुख्य शीर्ष "5075" अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5075" Capital Outlay on Other Transport Services			
मू.	O.	1952.00	5952.00	952.00
पू.	S.	4000.00		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "7051" पत्तनों तथा प्रकाशस्तंभों के लिए कर्ज	Major Head "7051" Loans for Ports and Light Houses			
मू.	O.	8400.00		
			300.00	300.00
पु.	R.	-8100.00		
मुख्य शीर्ष "7056" अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए कर्ज	Major Head "7056" Loans for Inland Water Transport			
मू.	O.	250.00		
पू.	S	1.00	1450.00	1450.00
पु.	R.	1199.00		

(I) दो शीर्षों के अंतर्गत 15000.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "5075" - "अन्य - अन्य व्यय - सेतुसमुंद्रम जहाजी नहर परियोजना" - 5000.00 लाख रु. (4000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "5052" - "समुद्रपार जहाजरानी - अन्य व्यय - सर्वेक्षण जलयान" - 10000.00 लाख रु. दो सर्वेक्षण जलयानों के संशोधित लागत अनुमानों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और नए सर्वेक्षण जलयानों के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव के अनुमोदन में विलंब होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "5051" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "लघु पत्तन - अन्य छोटे पत्तन - अवतरण सुविधाओं तथा घाटों का निर्माण" - 1886.24 लाख रु. की बचत (4344.00

(I) Provision of Rs.15000.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads under the following major heads: -

(A) Major Head "5075" - "Others-Other Expenditure - Sethusumundram Ship Canal Project" - Rs.5000.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.4000.00 lakhs) - due to non-approval of implementation of the Project by the competent authority.

(B) Major Head "5052" - "Overseas Shipping-Other Expenditure - Survey Vessels" - Rs.10000.00 lakhs - due to non - approval of revised cost estimates of two Survey Vessels and delay in approval of proposal for acquisition of new Survey Vessels.

(II) Under Major Head "5051"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Minor Ports - Other Small Ports - Construction of landing facilities and jetties"- saving of Rs.1886.24 lakhs (against the sanctioned

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने और अंतिम तिमाही में व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण थे।

(खा) "प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत - प्रकाशस्तंभों का निर्माण और विकास - प्रकाशस्तंभों का निर्माण और सुधार" - 1382.20 लाख रु. की बचत (2160.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विक्रेता तकनीकी सहायता स्कीम, पोर्ट ब्लेयर और मुंबई में प्रकाशस्तंभ की स्वचालन स्कीम के लिए एल I के अनुमोदन, भूमि के अधिग्रहण संबंधी पर्यावरणीय स्वीकृति में विलंब होने और तटीय यातायात प्रणाली के अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "5052" - "सामान्य - अन्य व्यय - ई-गवर्नेंस" के अंतर्गत 271.69 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ई-गवर्नेंस के अंतर्गत स्कीमों के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "7051" - "मुख्य पत्तन - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों के लिए कर्ज - पत्तन न्यास को कर्ज" के अंतर्गत 8100.00 लाख रु. की बचत (8400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परादीप पत्तन की पहुंच नहर और प्रवेश नहर को गहरा करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमति प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 65.99 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत थी।

5.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1199.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "7056" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम" के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 57.54 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 58 प्रतिशत थी।

provision of Rs.4344.00 lakhs) was due to non-finalisation of procurement process and restriction of expenditure in the last quarter.

(B) "Light Houses and Light Ships - Construction and Development of Light Houses - Construction and Improvement of Light Houses"- saving of Rs.1382.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2160.00 lakhs) was due to delay in approval of L1 for the scheme Vendor Technical Support, scheme of automations of Light Houses in Port Blair and Mumbai, acquisition of land environmental clearance and delay in the approval of coastal traffic system.

(III) Under Major Head "5052" - "General - Other Expenditure - E-Governance" - saving of Rs.271.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to requirement of less funds for schemes under E-governance.

(IV) Under Major Head "7051" - "Major Ports-Loans for Public Sector and other Undertakings-Loans to Port Trust" - saving of Rs.8100.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 8400.00 lakhs) was due to non - clearance by Ministry of Environment and Forests for deepening of approach channel and entrance channel of Paradip Port.

(V) Under one head saving of Rs.65.99 lakhs occurred constituting 19 percent of the sanctioned provision.

5.(I) The above savings were partly (Rs.1199.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "7056" - "Loan to Public Sector and other Undertakings - Central Inland Water Transport Corporation".

(II) The above savings were also offset by an excess of Rs.57.54 lakhs under one head constituting 58 percent of the sanctioned provision.